

समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता का अध्ययन

Shakila Khan

Guest Professor, Dr. Hari Shing Gour University Sagar (M.P.)

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 16 Jan 2020

Keywords

समावेशी, शिक्षा, लैंगिक, अधिकार, विकास

ABSTRACT

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सभी वर्ग के सामान्य तथा विविष्ट विद्यार्थियों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। जिससे बच्चों में समानता तथा समायोजन क्षमता का विकास समान रूप से हो। इस शोध पत्र में समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया गया है जो की सामान्य वर्ग की छात्रों के लैंगिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है।

परिचय

प्राचीनकाल के भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया महिलाओं की स्थिति में भीषण बदलाव आया। महिलाओं के प्रति लोगों की राय बदलने लगी थी। उन्हें पुरुषों से निम्न समझा जाने लगा। बहुविवाहप्रथा, सतिप्रथा, दहेजप्रथा, कन्या भ्रूणहत्या जैसे मामले उजागर होना एक आम बात बनने लगी थी। बिगड़ते हालातों को देखते हुए महान नेताओं तथा समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम करने की ठानी। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि महिलाओं की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाया जा सका।

भारत के आजाद होने के बाद महिलाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब पुरुषों के समान अधिकार मिलने लगे हैं। आजादी के बाद बने भारत के संविधान में महिलाओं को वे सब लाभ, अधिकार व काम करने की स्वतंत्रता दी गयी है। वर्षों से अपने साथ होते बुरे सलूक के बावजूद महिलाएँ आज अपने आपको सामाजिक बेड़ियों से मुक्त पाकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास से अपने परिवार, समाज तथा देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं।

हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएँ करती हैं। इसका मतलब देश की उन्नति का आधा भार महिलाओं पर और आधा पुरुषों के कंधे पर निर्भर करता है। आज महिलाएँ एक सफल समाज सुधारक, उद्यमी, प्रशासनिक सेवक, राजनायिक आदि हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गये हैं पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। देश में छोटी बच्चियों के खिलाफ भेदभाव और लैंगिक असमानता की ओर ध्यान दिलाने के लिए बेटा बचाओ-बेटी पढ़ाओ नाम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक सरकारी सामाजिक योजना की शुरुआत की गयी है।

लैंगिक समानता

लैंगिक समानता भारत की विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिंग को प्रदर्शित करती है। यूएनडीपी के लिंग समानता सूचकांक 2014 में 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127वें स्थान पर है। सार्क देशों से सम्बन्धित देशों से सम्बन्धित देशों में केवल अफगानिस्तान ही इन देशों की सूची में ऊपर है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2014 के अनुसार 142 देशों की सूची में भारत 114 वें स्थान पर है।

लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निशेध करता है। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करते हैं।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा (Inclusive education) समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सभी वर्ग के सामान्य तथा विविष्ट विद्यार्थियों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। जिससे बच्चों में समानता तथा समायोजन क्षमता का विकास समान रूप से हो। यहाँ विविष्ट विद्यार्थी से तात्पर्य ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गये हैं चाहे वह शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हो

या लैंगिक असमानता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी बालिका हो उन्हें समावेशी विद्यालयों में सामान्य रूप से शिक्षण प्रदान किया जाता है। संविधान संसोधन के तहत अक्षम बालकों की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। अतः बच्चों में समानता तथा समायोजन क्षमता के विकास के उद्देश्य से सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा (Inclusive education) एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन वर्तमान में हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग वर्तमान में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को 12 स्वीकार नहीं करती। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब नहीं है। विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

सोनी, संगीता (2016) ने "माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक स्तर पर हिन्दी ने "माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय की पाठ्यपुस्तकों में मानव मूल्यों का अन्तर्वस्तु विषय की पाठ्य पुस्तकों में मानव मूल्यों का अन्तर्वस्तु विश्लेषण" विषय पर विश्लेषण" पी-एच.डी. स्तरीय शोध कार्य करके अपने निष्कर्ष में पाया कि मानव मूल्यों की प्रकृति गुणात्मक है, मात्रा से ही वे जीवन मूल्य की श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि भाषा शिक्षक का दायित्व महनीय है। उसकी क्षमता, कुशलता, निष्ठा, धैर्य सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता पर ही मूल्योन्मुख शिक्षा के एक सफल शिक्षक के रूप में उसकी सफलता निहित है।

इन्दौरिया, गिरीजा (2015) ने "शेखावाटी क्षेत्र की कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं के आत्मविश्वास, समायोजन एवं मानवीय मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन।" शीर्षक पर पी-एच.डी. स्तरीय का तुलनात्मक अध्ययन।" इन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि झुंझनू जिले की कस्तुरबा गाँधी उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं के आत्मविश्वास, समायोजन एवं मानवीय मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। सीकर जिले की कस्तुरबा गाँधी उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं के आत्मविश्वास, समायोजन

एवं मानवीय मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। चूरु जिले की कस्तुरबा गाँधी उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं के आत्म विश्वास, समायोजन एवं मानवीय मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुमार, श्रवण (2007) "लैंगिक भिन्नता के सन्दर्भ में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि और उनके माता-पिता की शैक्षिक आकांक्षाओं उपलब्धि और उनके माता-पिता की शैक्षिक आकांक्षाओं का अध्ययन" निष्कर्ष स्थापित किया कि बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि और उनके माता-पिता की शैक्षिक आकांक्षाओं के बीच सार्थक सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार बालकों की शैक्षिक उपलब्धि तथा उनके माता-पिता की शैक्षिक आकांक्षाओं में सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

मरीसा, सी.यंग एव जीनई यंग वॉलस (2009) "पारिवारिक दायित्व, उत्पादन और आय: कानाडियन वकीलों में लैंगिक विभिन्नताओं और आय: कानाडियन वकीलों में लैंगिक विभिन्नताओं का अध्ययन" का अध्ययन" शीर्षकपर शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोध में शैक्षिक उत्पादन में कमी पाई गई। सर्वे में 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के वकीलों को शामिल किया गया था। युनाइटेड स्टेट के विभागीय कार्मिकों का दायित्व पालन महिलाओं की शैक्षिक कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

शोध विधि

अनुसंधान कार्य में शोध समस्या का एक उत्तम और वैज्ञानिक उत्तर ज्ञान करने हेतु आंकड संकलित करने के लिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रस्तुत शोधकार्य "उच्च प्राथमिक स्तर पर समावेशी उच्च प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत विभिन्नवर्ग की छात्राओं में नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता का अध्ययन" समानता का अध्ययन" के शीर्षक, उद्देश्यों, परिकल्पनाओं तथा विशेषताओं को ध्यान में रखकर शोधकर्त्री द्वारा दत्तसंकलन हेतु 'सर्वेक्षणविधि' का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षणविधि वर्णनात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि है। सर्वेक्षण का अर्थ किसी दशा, स्थिति या मूल्य के संबंध में जाँच करना है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में सागर संभाग के समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत विभिन्न वर्ग की उच्च प्राथमिक स्तर की 800 बालिकाओं का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकी

विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्रपत्रों की जांचकर, प्रत्येक का फलांकन कर, समस्त अंकों को व्यवस्थित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राप्त आंकडों के विप्लेषण में मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात का प्रयोग किया गया।

दत्तों का सारणीयन एवं विप्लेशण

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्त्री द्वारा परिकल्पनाओं के आधार पर दत्तों का सारणीयन एवं विप्लेशण निम्नप्रकार से किया गया है।

सारणी –1

समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता

स्तर	कुल छात्राएँ	स्तरानुसार छात्राएँ	प्राप्तांक प्रतिशत	प्रतिशत की सार्थकता	
				से (from)	तक (to)
उच्च	800	140	17.50	16.16	18.84
औसत		535	66.88	65.21	68.54
निम्न		125	15.63	14.34	16.91

उक्त सारणी में समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता की गणना की गई है। गणनानुसार समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों में कुल 800 में से 140 छात्राओं के प्राप्तांक उच्चस्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 17.50 प्रतिशत है तथा 535 छात्राओं के प्राप्तांक औसत स्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 66.88 प्रतिशत है जबकि 125 छात्राओं के प्राप्तांक निम्नस्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 15.63 प्रतिशत है प्राप्त आंकड़ों की गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता सबसे अधिक औसत स्तर पर पाए गए। अर्थात् समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं में लैंगिक समानता औसत स्तर पर पाई गई।

सारणी – 2

समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता

स्तर	कुल छात्राएँ	स्तरानुसार छात्राएँ	प्राप्तांक प्रतिशत	प्रतिशत की सार्थकता	
				से (from)	तक (to)
उच्च	400	87	21.75	20.29	23.21
औसत		246	61.50	59.78	63.22
निम्न		67	16.75	15.43	18.07

उक्त सारणी में समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता की गणना की गई है। गणनानुसार समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की

छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों में कुल 400 में से 87 छात्राओं के प्राप्तांक उच्चस्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 21.75 प्रतिशत है तथा 246 छात्राओं के प्राप्तांक औसत स्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 61.50 प्रतिशत है जब कि 67 छात्राओं के प्राप्तांक निम्नस्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 16.75 प्रतिशत है प्राप्त आंकड़ों की गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता सबसे अधिक औसत स्तर पर पाए गए। अर्थात् समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं में लैंगिक समानता औसत स्तर पर पाई गई।

सारणी –3

समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् आरक्षित वर्ग की छात्राओं के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता

स्तर	कुल छात्राएँ	स्तरानुसार छात्राएँ	प्राप्तांक प्रतिशत	प्रतिशत की सार्थकता	
				से (from)	तक (to)
उच्च	400	52	13.00	11.81	14.19
औसत		296	74.00	72.45	75.55
निम्न		52	13.00	11.81	14.19

उक्त सारणी में समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् आरक्षित वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता की गणना की गई है। गणनानुसार समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् आरक्षित वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों में कुल 400 में से 52 छात्राओं के प्राप्तांक उच्चस्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 13.00 प्रतिशत है तथा 296 छात्राओं के प्राप्तांक औसत स्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 74.00 प्रतिशत है जबकि 52 छात्राओं के प्राप्तांक निम्नस्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 13.00 प्रतिशत है प्राप्त आंकड़ों की गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् आरक्षित वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता सबसे अधिक औसत स्तर पर पाए गए। अर्थात् समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् आरक्षित वर्ग की छात्राओं में लैंगिक समानता औसत स्तर पर पाई गई।

निष्कर्ष

हमारे देश में हमने ये तो देखा और सुना ही है कि वह लड़कियां ही है जिन पर जुर्म का नाच नचाया जाता है। वर्तमान समय में देश व समाज के विकास के लिए बालिकाओं को समाज में एक मजबूज 151 और नडर किरदार मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की

छात्राओं समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता सामान्य की लैंगिक समानता सामान्य स्तर की है। इसका परीक्षण करने के लिये समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं में लैंगिक समानता के प्राप्तांकों में कुल 400 में से 87 छात्राओं के प्राप्तांक उच्च स्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 21.75 प्रतिशत है तथा 246 छात्राओं के प्राप्तांक औसत स्तर के पाये गये जो कुल छात्राओं का 61.50 प्रतिशत है जबकि 67 छात्राओं के प्राप्तांक निम्नस्तर के 148 पाये गये जो कुल

छात्राओं का 16.75 प्रतिशत है प्राप्त आंकड़ों की गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं की लैंगिक समानता मापनी के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं प्रतिशतता की सार्थकता सबसे अधिक औसत स्तर पर पाए गए। अर्थात् समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की छात्राओं में लैंगिक समानता औसत स्तर पर पाई गई। समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं में लैंगिक समानता का स्तर औसत पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. सोनी, संगीता(2016), पी-एच.डी. शोधकार्य, आईएएसईमान्य विश्वविद्यालय, सरदारशहर।
2. इन्दौरिया, गिरीजा (2015) –पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध, जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुडैला, झुंझनू, राजस्थान
3. Dissertation Abstracts International, Vol.- 58, No.- 11, May -2008, Page No. – 83 A
4. "Journal of Family and Economic" Issue 2009, Vol 30 No 3, PP 305.
5. "ज्ञानदाजर्नलऑफ एज्यूकेशन", गाजियाबाद (उ.प्र.) अंक-6, नं. 2, जून 2010, पृ.सं. 38-42.
6. काबरा, रूपनारायण – "महत्त्वकांक्षा कितनी घातक" नयाशिक्षक, त्रैमासिक पत्रिका अक्टू. से दिस. 2014, पृ.सं. 17.
7. श्रीवास्तव, सुहासिनी (2004) –भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, सरस्वतीकुँज, निरालानगर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश), भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष-23, अंक- 2, जुलाई-दिसम्बर- 2004, पृष्ठ – 25-30
8. अग्रवाल, सुभाषचन्द्र एवं वर्मा, कल्पना (2005) –भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, भारतीय शिक्षा शोध संस्थान सरस्वतीकुँज, निरालानगर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश), वर्ष-24, अंक- 2, जुलाई-दिसम्बर- 2005, पृष्ठ – 25-30
9. डा. पाण्डे, रामषक्ल (2013) 'पाष्चात्य एवंभारतीय शिक्षा शास्त्री' अग्रवालपब्लिकेशन्स, (2012-13) पृ. सं. 34.
10. शर्मा, आर. ए. (2008) "शिक्षा अनुसंधान" सूर्यापब्लिकेशन्स, मेरठ, पृ. सं. 786